

SUM : 148 -2022

न्यायालय:- ऋषिराज मिश्रा, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी भानपुरा, जिला मंडसौर म.प्र.

::: निर्णय :::

(आज दिनांक 28.10.22 को खुले न्यायालय में घोषित)

1. आरक्षी केन्द्र भानपुरा के द्वारा अभियुक्त/अभियुक्तगण
सुमित s/o मुकेश खत्री उम्र-24 नि. भानपुरा
... के विरुद्ध म.प्र. आबकारी संशोधन अधिनियम 2000 की धारा- 36(बी) के तहत
अभियोग पत्र प्रस्तुत किया गया।
2. अभियुक्त/अभियुक्तगण के विरुद्ध अधिरोपित म.प्र. आबकारी
संशोधन अधिनियम 2000 की धारा- 36(बी) के अपराध की विशिष्टियां उसे पढ़कर
सुनाई, समझायी जाने पर अभियुक्त/अभियुक्तगण के द्वारा स्वेच्छयापूर्वक उक्त
आरोपित अपराध कारित करना स्वीकार किया गया।
3. अभियुक्त/अभियुक्तगण की स्वेच्छया स्वीकारोक्ति के आधार पर
अभियुक्त को म.प्र. आबकारी संशोधन अधिनियम 2000 की धारा- 36(बी) की
दोषसिद्धि पर 500/- के अर्थदण्ड से दण्डित
किया जाता है। अर्थदण्ड के व्यतिक्रम में उसे 07 दिवस का अतिरिक्त साधारण
कारावास भुगताया जाये।
4. प्रकरण में जप्तशुदा संपत्ति एवं शराब उपयोगहीन होने से नष्ट की
जाए।
5. कार्यवाही समाप्त करने का दिनांक 28.10.22



मेरे उद्बोधन पर टाईप किया गया।

(ऋषिराज मिश्रा)
न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी
भानपुरा जिला मंडसौर म.प्र.